न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 753/2024
अनवान : –

1. दीपचन्द पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मुखराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. महावीर प्रसाद पुत्र जय मल राम जाति जाट निवासी फतेहगढ़।
4. विक्रम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. सुरेन्द्र पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेराकार राज

निर्णय दिनांक: 2/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.0530 है0 भूमि वादी व प्रतिवीदीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.0530 है0 भूमि में से प0 नं0 318/380 (29) के किला नं. 15/1 की 0.2300 है0 के मिन दक्षिण की 0.0466 है0 रास्ता के चिपते हुए, किला नं. 16 की 0.2530 है0, 25/1 की 0.1260 है0 भूमि वादी की मुताबिक बैयनामा दिनांक 18.03.2024 से खरीदशुदा है तथा खरीद के समय से ही वादी काबिज चला आ रहा है इसलिए वादी बैयनामा के अनुसार खरीदशुदा भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग तकसीम करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.0530 है0 भूमि में से वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि प0 नं0 318/380 (29) के किला नं. 15/1 की 0.2300 है0 के मिन दक्षिण की 0.0[illegible] है0 रास्ता के चिपते हुए, किला नं. 16 की 0.2530 है0, 25/1 की 0.1260 है0 [illegible] मुताबिक बैयनामा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग तकसीम करवाकर खाता अलग से [illegible] करवा दे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल–2 करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:38:46 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 18.03.2024 आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.0530 है0 भूमि में से प0 नं0 318/380 (29) के किला नं. 15/1 की 0.2300 है0 के मिन दक्षिण की 0.0466 है0 रास्ता के चिपते हुए, किला नं. 16 की 0. 2530 है0, 25/1 की 0.1260 है0 भूमि वादी की मुताबिक बैयनामा दिनांक 18.03.2024 से खरीदशुदा है तथा खरीद के समय से ही वादी काबिज चला आ रहा है इसलिए वादी बैयनामा के अनुसार खरीदशुदा भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त खाता व लगान अलग अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किंया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.0530 है0 भूमि वादी व प्रतिवीदीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 7 की [illegible]दी 1.0530 है0 भूमि में से प0 नं0 318/380 (29) के किला नं. 15/[illegible] की 0.0466 है0 रास्ता के चिपते हुए, किला नं. 16 की 0.2530 है0, 25/1 की [illegible]260 है0 भूमि वादी की मुताबिक बैयनामा दिनांक 18.03.2024 से खरीदशुदा है तथा खरीद के समय से ही वादी काबिज चला आ रहा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:38:46 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए वादी बैयनामा के अनुसार खरीदशुदा भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त खाता व लगान अलग अलग राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.0530 है0 भूमि में से मुताबिक बैयनामा वादी की खरीदशुदा व कब्जा काश्त की भूमि प0 नं0 318/380 (29) के किला नं. 15/1 की 0.2300 है0 के मिन दक्षिण की 0.0466 है0 रास्ता के चिपते हुए, किला नं. 16 की 0.2530 है0, 25/1 की 0.1260 है0 कुल 0.4256 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मुताबिक नजरीय नक्शा तरमीम किया जाकर खाता व लगान अलग किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:38:46 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 753/2024

अनवान : –

1. दीपचन्द पुत्र भागाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. मुखराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. मदनलाल पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. महावीर प्रसाद पुत्र जय मल राम जाति जाट निवासी फतेहगढ़।
4. विक्रम पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. सुमित्रा पत्नी कृष्णलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. सुरेन्द्र पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 753 सन 2024 निर्णय दिनांक 02/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 89/90 के कुल खसरे 7 की कुल तादादी 1.0530 है0 भूमि में से मुताबिक बैयनामा वादी की खरीदशुदा व कब्जा काश्त की भूमि प0 नं0 318/380 (29) के किला नं. 15/1 की 0.2300 है0 के मिन दक्षिण की 0.0466 है0 रास्ता के चिपते हुए, किला नं. 16 की 0.2530 है0, 25/1 की 0.1260 है0 कुल 0.4256 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मुताबिक नजरीय नक्शा तरमीम किया जाकर खाता व लगान अलग किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:38:46 IST
Reason: SelfAttested